सैद्धान्तिक परिदृश्य एवं अध्ययन विधि व अध्ययन क्षेत्र

कुमारी छाया रानी
इतिहास विभाग, मेरठ कॉलेज,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

डॉ. राज कुमार
इतिहास विभाग, मेरठ कॉलेज,
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

1. प्रास्ताविक

ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं उन्हें आर्थिक दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी देने तथा उनके सफल क्रियान्वयन में महिला नेतृत्व द्वारा विशेष योगदान दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से उत्पन्न बनाने हेतु वर्तमान में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे– ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम, महिला समाख्या योजना, महिला समृद्धि योजना विशेषकर व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं। जन सामान्य का अनुभव हैं कि सरकारी स्तर पर अनेक कल्याणकारी योजनाएँ बनाई तो जा रही हैं, उन्हें क्रियान्वित भी किया जा रहा हैं, लेकिन इन योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वांछित लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण इन योजनाओं की जानकारी का अभाव हैं। यदि जानकारी भी मिल जाती हैं तो अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं। जिसके कारण वास्तविक लक्ष्य समूह के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता हैं। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों को प्रभावी बनाने में पंचायतों की ग्रामीण महिला नेतृत्व की विशेष भूमिका हो सकती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों का प्रत्येक स्तर पर शोषण होता हैं। जानकारी एवं शिक्षा के अभाव में उनकी अज्ञानता का अधिकांश लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। इस प्रकार के लोगों की सहकारी सहायता, ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करने में भी न जाने कितनी जगह शोषण का शिकार होना पड़ता हैं। उन्हें अपने उत्पादों को खुले बाजार और यहाँ तक की सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं पर विक्रय करते समय भी शोषित होना पड़ता हैं। यह निश्चित हैं कि वर्तमान में कार्यरत जन प्रतिनिधि जो अधिकांश पुरूष ही हैं। इस प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगभग असमर्थ रहे हैं। अतः अब ग्रामीण महिला नेतृत्व से यह उम्मीद करना आवश्यक हो गया हैं कि ऐसे लोगों की ये महिला प्रतिनिधि मदद कर उनको शोषण से बचा सकती हैं तथा देश में पंचायती राज का सपना साकार कर सकती हैं।

समाज में तेजी से बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, अराजकता को रोकने के लिए महिला नेतृत्व की अहम भूमिका हो सकती हैं। अनियमित कार्य को रोकने वाले अथवा बढ़ावा देने वाले चाहे जन प्रतिनिधि हो, गाँव के सम्भ्रान्त लोग हो अथवा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हो, उनके द्वारा पंचायतों के माध्यम से इस प्रकार लोगों के प्रति पूरी पंचायत का ध्यान आकृष्ट कराया जा सकता हैं तथा जनतांत्रिक तरीके से विरोध भी प्रकट किया जा सकता हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी संविधान सम्मत तरीके का सहारा भी लिया जाना समय का तकाजा हैं। इस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में महिला नेतृत्व से सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं।[प]

देश की कुल जनसंख्या में यदि महिलाओं का वर्तमान अनुपात देखें तो वह 62.32 करोड़ पुरूषों के विपरीत लगभग 58.75 करोड़ हैं। इस प्रकार पुरूषों और महिलाओं का प्रतिशत 51.47 और 48.53 हैं। इसके साथ–साथ यदि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान का अध्ययन करें तो पता चलता हैं कि यह इनके अनुपात में बहुत ही कम हैं। देश में कुल महिला श्रम बल का प्रतिशत मात्र 23.2 लगभग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना योगदान बढ़ाना होगा और इसके लिए पंचायतों की इन महिला जन–प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देना होगा। आर्थिक विकास की अनेकानेक योजनाओं और कार्यक्रमों से उन्हें सीधे–सीधे जोड़ना होगा। इस कार्य में आने वाली बाधाओं का पता लगाकर उनके निराकरण के उपाय ढूँढने होंगे। पंचायतों के माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर चुकी इन महिलाओं से जहां एक कुशल नेतृत्व की आशा की जाती हैं वही राजनीति को प्रदूषण से अवमुक्त कराने की भी प्रबल अपेक्षा हैं।

पंचायतों के निर्वाचन के बाद भी महिलाएँ पहले की तरह मजदूरी व अन्य कार्य करती हैं लेकिन कुछ मामलों में महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार आया हैं। यह सुधार महिलाओं में चेतना का प्रतीक हैं। कुछ शिक्षित महिलाओं ने सिलाई, ट्यूशन, कल्याण कार्यक्रमों आदि में भागीदारी जैसे काम करने भी शुरू कर दिये हैं।

इसी प्रकार विकास की ग्रामीण प्रक्रिया को देखें तो महिलाऐं ग्रामीण विद्यालयों के उचित संचालन, स्वास्थ्य केन्द्र, दृश्य केन्द्र, बागवानी, स्वच्छता–सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सड़कों की रोशनी व दूसरे कल्याणकारी कार्यक्रमों को पंचायत की चुनी हुई महिलाऐं सक्रियता में संचालन व निरीक्षण कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं में अलग–अलग स्तर पर कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा जिससे विकास की सभी योजनाओं में सभी वर्गों के लोगों के साथ मिलकर तथा विकास के कार्यक्रमों से जुड़कर काम करने तथा निर्णय लेने का अवसर व अनुभव प्राप्त होगा, इससे महिलाओं में राजनैतिक भागीदारी की इच्छा शक्ति का विकास होगा और उनके नेतृत्व के उभरने का रास्ता खुल जायेगा।

दिसम्बर 1992 का संवैधानिक संशोधन विधेयक जो 23 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। उसमें कुछ कमियाँ रह गयी, जिसके कारण महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी का दुरुपयोग किया जा रहा हैं तथा उन्हें सक्रिय राजनैतिक व्यवहार में नीतियों का संचालन व क्रियान्वयन करने में अनेक चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं, जिसके आधारभूत कारण इस प्रकार हैं–

1. पंचायती राज व्यवस्था के विधेयक को भारत के 22 राज्यों व 6 केन्द्र शासित राज्यों में लागू किया गया हैं लेकिन इन क्षेत्रों में राजनैतिक ढांचागत व्यवस्था में काफी भिन्नता हैं, 15 ऐसे बड़े राज्य हैं जहाँ 3 स्तरीय व्यवस्था हैं, 1993 से आज तक लगभग 217000 ग्राम पंचायते पंचायती राज के अन्तर्गत काम कर रही हैं। उन पंचायतों के पास प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य की किन संस्थाओं से सत्ता सम्बन्ध रखा जाना चाहिए? यह स्पष्ट नहीं हैं। जिसके कारण उन्हें प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन में अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ रहा हैं। फिर अगर महिलाऐं पंचायतों में अध्यक्ष पद पर हैं तो उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं।[पप]
2. पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया हैं लेकिन कर न होने पर कठोर कदम उठाने के लिए पंचायतों को कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं हैं, जिसके कारण रूढ़िवादी लोग व राजनेता मनमानी करते हैं तथा महिला अधिकारियों को परेशान करते हैं।
3. पंचायती राज के कार्यक्षेत्र की सूची में 29 कार्यक्षेत्र हैं, जहाँ पंचायतों को कार्य करने का विशाल क्षेत्र दिया गया हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें साधन व अपेक्षित अधिकारों की जरूरत हैं, जिसके लिए वित्त आयोग सुझाव व सिफारिशें तैयार करता हैं लेकिन राज्य सरकार उन्हें मानने के लिए

बाध्य नहीं हैं और जिसके लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश भी नहीं दिये गये हैं। इस कारण महिला सरपंचों को या पंचायतों के महिला अधिकारियों को राज्य सरकारों से विकास की अनुदान राशि प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं।

4. भारतीय महिलाओं के ऊपर पारिवारिक उत्तर दायित्व, निम्न स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाऐं तथा समाज में द्वितीय स्थान होने के कारण आज उनकी संख्या पुरूषों के सामने 943 की रह गई हैं। कई सर्वेक्षणों द्वारा यह पाया गया हैं कि महिलाऐं काम के 2/3 भाग का बोझ उठाती हैं, लेकिन उन्हें वेतन का 1/10 वां भाग की प्राप्त होता हैं तथा सम्पत्ति में उन्हें केवल 1/10 वां भाग ही मिलता हैं। इससे स्पष्ट होता हैं कि उनके आर्थिक व घरेलू कर्तव्यों में किये गये श्रम व योगदान को उचित मान्यता नहीं मिली हैं। यह आर्थिक शोषण उन्हें समाज में उपेक्षित बनाता हैं, जिसके कारण उनमें राजनैतिक भागीदारी की इच्छाशक्ति उत्पन्न ही नहीं हो पाती हैं।[पपप]

2. साहित्यिक परिप्रेक्ष्य

किसी भी विषय का सम्पूर्ण अध्ययन करने के लिए उससे सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करना अति आवश्यक होता हैं। जिससे हम उस विषय पर किये गये अनुसंधानों के बारे में जान पाते हैं और साथ ही यह भी जान पाते हैं कि पूर्व अनुसंधानों में उस विषय से सम्बन्धित किन–किन पक्षों का अध्ययन किया जा चुका हैं और कौन से पक्ष अध्ययन से अछूते रहे हैं। विषय से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करने से शोध को उत्कृष्टता प्रदान की जाती हैं। प्रस्तुत शोध में भी अनुसंधानकर्ता ने शोध विषय से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया। अनुसंधानकर्ता ने अपने साहित्यक अध्ययन को तीन भागों में नारी नेतृत्व सदियों में सबका ध्यान अपनी और आकर्षित करता रहा हैं, क्योंकि इसकी राह में हमेशा काटें व कंकड़ ही आए हैं। परन्तु इसके बावजूद भी नारी नेतृत्व की ज्योति जलती रही हैं। यह सत्य हैं कि पुरूष नेतृत्व के सामने नारी नेतृत्व केवल सूर्य के सामने दीपक के समान रहा हैं। परन्तु इसकी लौ हमेशा बरकरार रही हैं और हमेशा सूर्यास्त के बाद आने वाले अंधेरे में टिमटिमाती रही हैं तथा अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रही हैं। ग्रामीण नारी नेतृत्व की समस्या सदियों पुरानी हैं। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान द्वारा उन्हें राजनीतिक व संवैधानिक रूप से समान अधिकार प्रदान किये गये। राजनीतिक दलों ने नारी नेतृत्व को समानता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। परन्तु पुरूषों की स्वार्थ लोलुपता के बीच उसे कभी भी गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया गया और परिणामस्वरूप नेतृत्व पूरी तरह पुरूष वर्ग के ही हाथ में रहा, जो नारी वर्ग के हितों के बारे में न तो चिन्तित था और न ही उसकी कोई पतिबद्धता थी। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया तथा एकाएक नारी नेतृत्व को लेकर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ तेज हो गई। तत्पश्चात् लोकसभा में अनेक बार महिला आरक्षण विधेयक का प्रस्तुत किया जाना और हर बार उसका असफल हो जाना नेतृत्व के विरूद्ध रूढ़िवादी व संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

अनुसंधान यात्रा के इस क्रम में शोधकर्ता ने सम्बन्धित साहित्य में ग्राम पंचायत व ग्रामीण विकास में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया, जिससे ऐसे तथ्य उभरकर सामने आये, जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं, महिलाओं की जो स्थिति समाज में बनी हुई हैं, वह अनेक तथ्यों के प्रभावजन्य ही बनी हुई। रामपुर क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता महसूस कर शोधकर्ता ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर उन सभी पहलुओं को जानने की कोशिश की हैं, जो पंचायती राज व ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को प्रभावित व विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

इस प्रकार भारतीय संदर्भ में यह तथ्य समान रूप से लागू होता हैं कि भारतीय लोकतंत्र में ग्रामीण नारी नेतृत्व पंचायती राज व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक होता जा रहा हैं, क्योंकि महिलाएँ

समाज का लगभग आधा हिस्सा हैं व उनका नेतृत्व अत्यावश्यक हैं। इसलिए आज के स्वतन्त्र भारत में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वतन्त्रता, न्याय बन्धुत्व आदि को किस तरह प्रभावित कर रहा हैं? इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सम्बन्धित अध्ययन के द्वारा यह जानने की चेष्टा की गई हैं, जिससे पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं की वस्तुस्थिति का पता चल सकता हैं।

इन्हीं तथ्यों के आधार पर अध्ययन की प्रासांगिता को ध्यान में रखते हुये पंचायती राज में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति के अध्ययन को दृष्टिगत रखते हुए अध्ययन के उद्देश्यों के माध्यम से ओर अधिक प्रासांगिक हो जाता हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन के द्वारा निम्न उद्देश्यों को जानने की कोशिश की गई, जो ग्रामीण महिलाओं की स्थिति की वास्तविक स्थिति के समीप ले जा जाता हैं।

प्रत्येक अनुसंधान के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं, जिन्हें अनुसंधान द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता हैं। प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्यों निम्न प्रकार हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य हैं–

1. महिलाऐं ग्रामीण विकास के लिए क्या योगदान देती हैं तथा सरकारी कार्यक्रमों में क्या सहभागिता है?
2. अध्ययन क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विशेषताओं का विश्लेषण करना।
3. उन कारकों का अध्ययन करना जो महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व के लिए प्रेरित करती हैं।
4. महिलाओं का पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भागीदारी राजनीतिक जागरूकता गुटबन्दी कहा तक प्रभावित होती हैं।
5. पंचायती राज अधिनियम 73वें के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार आरक्षण कर्तव्य इत्यादि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना एवं महिलाओं को किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
6. उन सुझावों को प्रस्तुत करना जोकि महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में सम्मिलित करते हैं?

अतः इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के विकास तथा उसकी राजनैतिक सहभागिता का अध्ययन करके महिलाओं की वस्तुस्थिति का पता लगाया जा सकता हैं। जनपद रामपुर के निकट होने के बावजूद भी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति व उनकी राजनैतिक सहभागिता कुछ खास नहीं हैं, तभी तो वहाँ पर महिला प्रतिनिधियों का अकाल सा पड़ा हुआ हैं।

गत अध्यायों में हमने पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास एवं महिलाओं से सम्बन्धित ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक तथा साहित्यिक समीक्षा का अध्ययन किया हैं। महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति संघर्षरत् हैं तथा उनमें राजनैतिक सहभागिता की भी प्रबल इच्छा उभर कर सामने आयी हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के माध्यम से ग्रामीण विकास व पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की वस्तुस्थिति का पता चलता हैं कि महिलाओं का नेतृत्व कितना प्रभावशाली रहा हैं। इन्हीं सन्दर्भों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता ने शोध प्रबन्ध में कुछ प्रश्नों तथा परिकल्पनाओं के आधार पर महिला विकास की वास्तविकता का पता लगाने की चेष्टा की हैं।

प्रस्तुत शोध के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के विकास की दशा एवं दिशा को जानने का एक प्रयास हैं। शोध प्रबन्ध में अनुभवों के आधार पर कुछ परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें मुख्य परिकल्पना निम्न प्रकार हैं–

4. परिकल्पनाऐं

1. पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की प्रतिनिधित्व क्षमता में वृद्धि हुई है।
2. सशक्त ग्रामीण महिला प्रतिनिधित्व में विकासात्मक कार्य करने की इच्छा शक्ति पैदा हो रही है।
3. महिला प्रतिनिधित्व में पंचायतों के द्वारा मनरेगा से अपने क्षेत्र का विकास किया है।
4. पंचायतों के माध्यम से महिलाएं पुरूषवादी बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर हो रही हैं।
5. महिला प्रतिनिधित्व के माध्यम से दलित वर्ग की महिलाऐं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रही है।
6. सफल पंचायती राज व्यवस्था में सशक्त महिला प्रतिनिधित्व के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध है।

पंचायती राज के माध्यम से कुशल महिला नेतृत्व विकसित हो रहा हैं। इस प्रकार स्पष्ट हैं कि मुख्य परिकल्पना के द्वारा ही कुछ उपपरिकल्पनाओं का निर्माण किया गया हैं, जिससे ग्रामीण नारी नेतृत्व की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके। उपपरिकल्पनाएं निम्न प्रकार हैं–

1. महिला आरक्षण सफल राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक हैं।
2. आरक्षण महिला की प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यक हैं।
3. नारी नेतृत्व के विकास में प्रमुख बाधा पुरूष प्रधान मानसिक, रूढ़िवादी समाज, आर्थिक पराश्रितता व अशिक्षा हैं।
4. वर्तमान में ग्रामीण महिला नेतृत्व में जागरूकता व राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा हैं।
5. महिलाएँ पुरूषों के समान राजनीतिक कुशलता व नेतृत्व क्षमता रखती हैं।
6. समाज के सम्पूर्ण विकास के लिए महिलाओं व महिला नेतृत्व का विकास आवश्यक हैं।

इन सभी उपपरिकल्पनाओं की मुख्य धारणायें पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के विकास व राजनैतिक जागरूकता, राजनैतिक अभिरूचि आदि को हम सामाजिक एवं राजनैतिक विकास के रूप में देखना चाहेंगे। इसी क्रम में हमने अपनी प्रश्नावली का निर्माण करते समय भी मुख्य रूप से इन्हीं पहलुओं पर आधारित शोध प्रबन्ध में जनपद रामपुर के विशेष संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं महिलाओं की स्थिति से सम्बन्धित निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया हैं–

1. क्या महिलाऐं स्वयं राजनीति में आना चाहती हैं या सिर्फ आरक्षण की वजह से आ रही हैं?
2. राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से महिला वर्ग की क्षमता का स्तर क्या हैं?
3. सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों से आपूरित ग्रामीण विकास के संकल्प को पूर्ण करने की दृष्टि से महिला नेतृत्व किस स्तर पर सक्रिय हैं?
4. महिला नेतृत्व को सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि किस हद तक प्रभावित करती हैं?
5. विरोधी परिस्थितियों का विरोध कर उन पर विजय पाने का साहस करने के बजाय कहीं महिला नेतृत्व स्वयं ही इनसे घबराकर राजनीति में आना नहीं चाहता हैं?
6. महिला नेतृत्व की पंचायत राज व्यवस्था के क्रियान्वयन में कैसी भूमिका हैं?
7. ग्रामीण महिला नेतृत्व की वास्तविक स्थिति क्या हैं?
8. महिला नेतृत्व की भविष्य में क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा हैं?

5. अध्ययन पद्धति

किसी भी शोध के प्रारम्भिक चरण में यह निश्चित करना आवश्यक होता हैं कि उसके अध्ययन की विधियाँ क्या होगी? अध्ययनकर्ता को प्रतीत हुआ कि अध्ययन का विषय अनुभूतिजन्य ज्ञान से जुड़ा

हुआ हैं। अतः सामाजिक सर्वेक्षण ही सबसे अधिक उपयुक्त पद्धति सिद्ध होगी। इसी कारण सर्वेक्षण को हमने इस अध्ययन का आधार बनाया। सर्वे का शाब्दिक अर्थ किसी घटना को ऊपर से देखने अथवा सिंहावलोकन करने से हैं परन्तु सर्वे विधि की प्रणाली के रूप में सर्वेक्षण का उपयोग एक विशेष अर्थ में होता हैं। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसी अनुसंधान प्रणाली से हैं, जिसमें अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर किसी घटना का वैष्णानिक निरीक्षण करता हैं तथा उसके सम्बन्ध में खोज करता हैं, जहाँ प्रयोगिक विधि का उपयोग कठिन होता हैं। वहाँ पर सर्वेक्षण विधि ही अधिक उपयुक्त सिद्ध होती हैं। हमारा अनुसंधान विषय महिलाओं के ग्रामीण विकास से सम्बन्धित हैं। अतः इसकों अनुभावात्मक रूप से केवल समाज में ही परीक्षित किया जा सकता हैं। परिणामस्वरूप सामाजिक अनुसंधान की सर्वेक्षण पद्धति को इस अध्ययन के लिए उपयुक्त पाया गया।

सर्वेक्षण के प्रथम चरण में अर्थात् जनसंख्या के निर्धारण के रूप में हमने रामपुर जनपद को चुना। रामपुर जनपद जहाँ महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा का अभाव भी पाया गया है। इसके क्या कारण हैं? इन बातों का ध्यान में रखते हुए अध्ययनकर्ता ने जनपद रामपुर को अध्ययन के लिए चुना।

सर्वेक्षण के दूसरे चरण में हमने सैम्पल के आकार तथा प्रकार को निर्धारित किया। केवल उन महिलाओं को ही इस सर्वेक्षण में स्थान दिया गया, जो कि स्वयं पंचायत राज से सम्बन्धित हैं। जनपद रामपुर पांच तहसील व छः विकास खण्ड़ों में विभक्त हैं। अनुसंधानकर्ता ने जनपद रामपुर के पाँच ब्लॉकों बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार और सैदनगर को अपने अध्ययन क्षेत्र के लिए चुना गया है। अध्ययन की स्वच्छता तथा क्रमबद्धता के आधार पर जनपद रामपुर के विकासखण्डों की पंचायतों में उपस्थित महिला ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य को अध्ययन व साक्षात्कार के लिए चुना, क्योंकि अनुसंधान विषय ग्रामीण विकास एवं महिलाओं से सम्बन्धित है, तो पंचायतों में महिला नेतृत्व को ही अध्ययन का आधार बनाया, जिससे उनकी स्थिति का वास्तविक आंकलन हो सके। इसलिए महिला उत्तरदात्रियों को चुनने के लिए हमने उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन को चुना, जिससे सर्वाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाईयों का चुनाव किया जा सके। अनुसंधानकर्ता ने प्रत्येक ब्लॉक से पाँच न्याय पंचायतों का चयन देव निदर्शन पद्धति से किया है इस प्रकार शोधार्थी ने 25 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण किया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक से क्रमानुसार दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से 10 महिला एवं 10 पुरूष उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इस प्रकार 25 ग्राम पंचायतों से 500 प्रतिदर्श वर्गीय दैव निदर्शन प्रणाली से चयनित किये गये। इस वर्गीय प्रस्तावित सैम्पलिंग प्रणाली को सैम्पलिंग पद्धति भी कहा जाता है। क्योंकि इस वर्गीय या स्तरीय प्रणाली से दैव निदर्शन प्रणाली तथा उद्देश्यूर्ण प्रणाली दोनों का प्रयोग किया जाता है।

प्रतिदर्श पद्धति के अन्तर्गत सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात् उनमें से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन किया जाता है। जिसे प्रतिदर्श कहते है जिसमें सम्पूर्ण समग्र की विशेषतायें होती है।

अनुभाविक अध्ययन पद्धति के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची साक्षात्कार अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण के लिए 50 प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की गयी। अध्ययन के लिए 500 उत्तरदाताओं को दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर चयनित किया और संकलन की पद्धति के रूप में साक्षात्कार पद्धति को अध्ययन के लिए चुना क्योंकि इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाता दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है।

1. **ब्लॉक का नाम–बिलासपुर** : अकिलपुर, अमरपुर, अहरो, कचनाल, कनकपुर
2. **ब्लॉक का नाम–मिलक** : अशोकपुर, आंगापुर, ऐमी, कपनेरी, कमोरा

3. **ब्लॉक का नाम–शाहबाद** : कूप, ओसी, करीमगंज, किशनपुर, खेड़ा
4. **ब्लॉक का नाम–स्वार** : इमरतपुर, मटखेड़ा, पट्टीकला, फाजलपुर, बिजरा
5. **ब्लॉक का नाम–सैदनगर** : केसरपुर, काशीपुर, जटपुरा, दरियागढ़, धनपुरा

संदर्भ सूची

[प] तिलक रघुकुल, पूर्वोक्त, पृष्ठ 242

[पप] चौहान, ए0पी0एस0 व सिंह सत्येन्द्र, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, वाई0के0 पब्लिशर्स, आगरा, 2004, पृ0 1

[पपप] वैकटराव वी0, ए हैण्ड्रेड ईयर्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट इन आसाम, कोलकत्ता, बेनियार केस, मानडेर, 1965, पृ0 1

4. रिपोर्ट ऑफ ए पैनल डिसकन ऑन द कन्स्टीट्एशन (72 अमण्डमेंट) बिल, 1991 : दि पंचायतस् (1991)

5. स्केन्सेपर पेपर ऑन पंचायत राज (मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नई दिल्ली, 1982)

6. रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी ऑन पंचायती राज, इन्सटीट्यूशन्स, (1978), राष्ट्रीय अभिलेखागार (लाईब्रेरी), नई दिल्ली।

7. पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स इन इण्डिया (1991), भारत सरकार, ग्रामीण विकास क्षेत्र मंत्रालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली।